

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 22/2020

अनवान

1. श्री बंशी आत्मज श्री ज्वारा जाट निवासी सुण्डा का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री भैरू आत्मज रूपा जाट नि. सोला का खेडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री मगना पुत्र सवाईराम जाट नि. सोला का खेडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री मांगु पुत्र सवाईराम जाट नि. सोला का खेडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री सुवा पुत्र नन्दा जाट नि. सोला का खेडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्री नारायण पुत्र अम्बालाल नि. सोला का खेडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. श्री गिरधारी पुत्र भागीरथ जाट नि. सुण्डा का खेडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. श्री मांगु पंत्र नन्दा जाट नि. सुण्डा का खेडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. श्री सुखा पुत्र नन्दा जाट नि. सुण्डा का खेडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 13.02.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 159 की आ.न. 1357 रकबा 0.0126 है0, आ.न. 1358 रकबा 0.1391 है0, आ.न. 578 रकबा 0.2655 है0, आ.न. 580/1 रकबा 0.0379 है0, आ.न. 580/2 रकबा 0.0506 है0, आ.न. 584/2 रकबा 0.1517 है0, आ.न. 683/1 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 683/2 रकबा 0.1138 है0, कुल कित्ता 08 कुल रकबा 0.8977 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 3,7,8 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 1,2,4,5,6 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 1,2,4,5,6 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा0पत्र में विपक्षी संख्या 1,2,4,5,6 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 159 की आ.न. 1357 रकबा 0.0126 है0, आ.न. 1358 रकबा 0.1391 है0, आ.न. 578 रकबा 0.2655 है0, आ.न. 580/1 रकबा 0.0379 है0, आ.न. 580/2 रकबा 0.0506 है0, आ.न. 584/2 रकबा 0.1517 है0, आ.न. 683/1 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 683/2 रकबा 0.1138 है0, कुल कित्ता 08 कुल रकबा 0.8977 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

